रमजान मोहम्मद व अन्य बनाम
राज्य सरकार व अन्य
प्रकरण संख्या 119/2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–23/12/2024

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज.)

प्रकरण सख्याः– 119/2023 (प्रार्थनापत्र)
दायर दिनांकः– 11/09/2023
निर्णय दिनांकः– 23/12/2024

अनवान

1. रमजान मोहम्मद पिता स्वर्गीय फखरूद्धिन जाति मंसूरी निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. नशीबन बानु पत्नी फकरूद्धिन जाति मुसलमान निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमंद
2. भारती बाबेल पत्नी लादूलाल बाबेल जाति जैन निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. सब्बीर मोहम्मद पिता फकरूद्धिन जति मुसलमान निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. सुमित्रा पत्नी लादुलाल जाति कलाल निवासी फरालिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. सुरेश जोशी पिता अर्जुनलाल जाति ब्राहमण निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

रमजान मोहम्मद व अन्य बनाम
राज्य सरकार व अन्य
प्रकरण संख्या 119/2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–23/12/2024

6. नगर पालिका देवगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 की सामलाती खातेदारी भूमि जिसके पुराने आराजी संख्या 3026/5 रकबा 02 बीघा 10 विस्वा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। उक्त पुरानी आराजी संख्या 3646 रकबा 02–10 बीघा के नवीन वर्तमान खाता संख्या 1325 खसरा संख्या 3646 रकबा 0.3200 हैक्टेयर है जो वर्तमान चालु जमाबन्दी नकल में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 के नाम सहखातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि का प्रार्थीगण सहखातेदार मालिक होकर प्रार्थीगण उक्त भूमि पर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज कास्त है एवं पुरानी जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में भी प्रार्थीगण उक्त पुराने आराजी संख्या 3026/5 कुल किता 01 कुल रकबा 02–10 बीघा भूमि का बतौर सह खातेदार दर्ज होकर काबिज कास्त है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जो प्रार्थीगण की भूमि नये आराजी संख्या 3646 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर दर्ज है वह गलत दर्ज है जबकि प्रार्थीगण की उक्त भूमि का रकबा 02–10 बीघा है परन्तु वर्तमान नई जमाबन्दी में सेटलमेन्ट विभाग

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

की गलती से प्रार्थीगण की भूमि का रकबा 0.3200 हैक्टेयर कर दिया गया है जो मूल रकबा 02–10 बीघा से कम है जबकि 02–10 बीघा भूमि का रकबा हैक्टेयर इकाई अनुसार 0.5401 हैक्टेयर होता है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई त्रुटि से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को कम कर दिया गया है जिस कारण प्रार्थीगण को भारी नुकसान हो रहा है। उक्त राजस्व जमाबन्दी में भूमि कम करने की जानकारी राजस्व रिकॉर्ड की नकल एवं नक्शा ट्रसे प्राप्त करने पर प्रार्थीगण को हुई। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में हुई त्रुटि के कारण प्रार्थीगण को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उक्त राजस्व जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में हुई त्रुटि को शुद्ध किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण भूमि का रकबा 02–10 बीघा के स्थान पर त्रुटिवश 0.3200 हैक्टेयर दर्ज है जिसके स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि करते हुए 02–10 बीघा को हैक्टेयर में इन्द्राज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण जब अपने राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस में शुद्धि हेतु तहसील कार्यालय पहुंचे तो वहां पर जानकारी हुई कि राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि के लिये दावा करना पडेगा जिससे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्ती के लिये आप न्यायालय में धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अप्रार्थी संख्या 01 को भूमिधारी जरिये प्रतिनिधि राज्य सरकार होने से पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 से 05 को सह खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है इनसे किसी प्रकार की कोई दाद नहीं चाही गई है। अतः श्रीमान् सें प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व जमाबन्दी में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

वर्तमान आराजी संख्या 3646 रकबा 0.3200 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण दर्ज किया गया है को पुरानी जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के अनुसार पुराने आराजी संख्या 3026 / 5 रकबा 02–10 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस अनुसार पूर्व की भांति शुद्ध किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रत्युत्तर में अप्रार्थी संख्या राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार देवगढ़ द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। जवाब मय मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि ग्राम देवगढ़ के गत जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 1428 आराजी संख्या 3026 / 5 रकबा 02.10 बीघा खातेदार रमजान मोहम्मद पिता फकरूद्धीन 2783 / 155040 मुसलमान नशीबनबानु पत्नी फकरूद्धीन 7 / 320 मुसलमान सब्बीर मोहम्मद पुत्र फकरूद्धीन 1 / 4 मुसलमान सुरेश जोशी 1500 / 58140 ब्राहमण नि0 कोटड़ा भारती बाबेल पत्नि लादूलाल हिस्सा 219 / 640 जाति कलाल नि0 फरालिया दर्ज रिकार्ड था। ग्राम देवगढ़ में सेटलमेंट विभाग द्वारा पुराने आराजी संख्या 3026 / 5 रकबा 2.10 बीघा के नवीन आराजी संख्या 3646 रकबा 0.3200 हैक्टेयर बनाये गये। जो गत रकबा 0.2200 हैक्टेयर कम है। ग्राम देवगढ़ के वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 1325 में आराजी संख्या 3646 रकबा 0. 3200 हैक्टेयर खातेदार रमजान मोहम्मद पिता फकरूद्धीन 2783 / 155040 मुसलमान नशीबनबानु पत्नी फकरूद्धीन 7 / 320 मुसलमान सब्बीर मोहम्मद पुत्र फकरूद्धीन 1 / 4 मुसलमान सुरेश जोशी 1500 / 58140 ब्राहमण नि0 कोटड़ा भारती बाबेल पत्नि लादूलाल हिस्सा 219 / 640 जाति कलाल नि0 फरालिया दर्ज है। जो

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

गत रकबे 0.2200 हैक्टेयर कम है। जबकि खातेदारान का आराजी संख्या 3646 रकबा 0.3200 हैक्टेयर संपूर्ण पर एवं आराजी संख्या 3395 रकबा 32.4200 हैक्टेयर में से 0.2200 हैक्टेयर भूमि पर काबिज है। जो प्रार्थी के खातेदारी आराजी संख्या 3646 से सटमा होकर पूर्व से ही काबिज है। ग्राम देवगढ़ के आराजी संख्या 3395 रकबा 32.4200 हैक्टेयर वर्तमान में नगरपालिका देवगढ़ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 02 एवं 04 की ओर से जवाब पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है इसलिये जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना की कलम संख्या 02 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित हे इसलिये जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना की कलम संख्या 03 स्वीकार हैं सभी खातेदार मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज कास्त है। प्रार्थना की कलम संख्या 04 स्वीकार हैं सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को शुद्ध किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना की कलम संख्या 05 स्वीकार है प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थनापत्र सही है सेटलमेन्ट विभाग ने भूमि का रकबा कर दिया है जिसे सेटलमेन्ट पूर्व नक्शा व जमाबन्दी अनुसार दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना की कलम संख्या 06 स्वीकार है प्रार्थी ने सही प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना की कलम संख्या 07 स्वीकार है सेटलमेन्ट द्वारा की गई त्रुटि से सभी खातेदार परेशान है तथा भूमि का रकबा कम होने से सभी खातेदार अपनी—अपनी भूमि का सही ढंग से उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहे है। प्रार्थना की कलम संख्या 08 स्वीकार है। प्रार्थना की कलम संख्या 09 एवं 10 कानूनी है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का पूर्व राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस अनुसार शुद्धिकरण किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

रमजान मोहम्मद व अन्य बनाम
राज्य सरकार व अन्य
प्रकरण संख्या 119/2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–23/12/2024

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 का नगर पालिका देवगढ़ को पक्षकार बनाये जाने बाबत् पेश किया जिसे स्वीकार किया गया । अप्रार्थी संख्या 03, 05, 06 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 05 की कब्जे शुदा भूमि ग्राम देवगढ़ पटवार मण्डल देवगढ़ जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 आराजी नम्बर 3026/5 रकबा 02–10 बीघा भूमि जिसके नये वर्तमान सेटलमेन्ट के खाता संख्या 1325 आराजी नम्बर 3646 क्षेत्रफल 0.3200 हैक्टेयर है। प्रार्थी के मूल रकबा 02–10 बीघा का हैक्टेयर में 0.5401 हैक्टेयर बनता है जबकि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मौके एवं रिकार्ड की जांच किए बगैर नवीन जमाबन्दी में भूमि का कम रकबा दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी पुराने राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शें अनुसार उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है। सेटलमेन्ट के दौरान भू–प्रबंध अधिकारियों ने बिना मौके की जांच–पड़ताल किये त्रुटि को शुद्धि किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पैरोकार सरकार ने प्रस्तुत जवाब मय मौका रिपोर्ट की ताईद की। दौराने बहस अप्रार्थी संख्या 02 व 04 के अधिवक्ता ने सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को शुद्धि किया जाने हेतु निवेदन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

90[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a REvenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

(अ) प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों की माननीय न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या को समझना उचीत प्रतीत होता है।

(1) 1996 आर0बी0जे0 पृष्ठ 8: ख्याली व अन्य बनाम स्टैट ऑफ राजस्थान व अन्य(उच्च न्यायालय)

<u>RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956- SECTION 136-</u>
Wrong entry made during settlement operation can be corrected by Land Record Officer.

(2) 2003 आर0बी0जे0 पृष्ठ 118: रूपनारायण बनाम कजोड़मल

<u>RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956- SECTION 136-</u>
Settlement Authorities have no power to delete the original entries and make new entries- In this case during the settlement operations Assistant Settlement

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

रमजान मोहम्मद व अन्य बनाम
राज्य सरकार व अन्य
प्रकरण संख्या 119/2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–23/12/2024

Officer deleted the name of the applicant who is a recorded khatedar of the disputed land and made entries in the name of non-applicant whereas settlement authorities have no right to delete the original entry and made new entries without any of the competent court. **Revision accepted.**

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियिम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर कि ग्राम देवगढ़ पटवार मण्डल देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के पुराने आराजी संख्या 3026/5 रकबा 2.10 बीघा के नवीन खाता संख्या 1325 खसरा संख्या 3646 रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि में सेटलमेन्ट द्वारा त्रुटिपूर्ण रकबा 0.2200 कम किया गया है। जिसे नगरपालिका देवगढ़ के नाम दर्ज आराजी संख्या 3395 रकबा 32.4200 हैक्टेयर में से 0.2200 हैक्टेयर भूमि को सेटलमेन्ट से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में कायम करते हुए प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जावें एवं प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3646 रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि में सम्मिलित किए जाने के आदेश दिए जाते है। तद्नुसार तरमीम की विधिसम्मत कार्यवाही की जावे। तहसीलदार, देवगढ़ को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द